

प्रेषक,

एस० के० माहेश्वरी,
आपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

रोका में,

केन्द्रीय गान्धीगिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र -2,
रायुदत्त चैन्ट, पीति विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा अनुशासन—३

देहरादून

दिनोंका / ९ जून, 2006

विषय: स्कॉल वर्ड पब्लिक स्कूल लोन नं० 20, कृष्णानगर, रुड़की हरिद्वार को रु०१००००५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश दुआ है कि रकाई वर्ड पब्लिक स्कूल लोन नं० 20, कृष्णानगर, रुड़की हरिद्वार को रु०१००००५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रभाग—पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निष्ठालिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

- 1— विद्यालय की पंजीकृत रोसाइटी का रागय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2— विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3— विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत सथान अनुसूचित जारी/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये रुक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कदाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4— संरथा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा वैक्षिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय गान्धीगिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुस्थान रखता रामापा दो जायेंगे।
- 5— संरथा शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तार कर्मचारियों को राजकीय राहायता प्राप्त शिक्षण संरथाओं के कार्यालयों को अनुग्रह वेतनगानों तथा अन्य भत्तों से कग वेतनगान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।

- 6— कर्मचारियों की रोका शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासाकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप रोकानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
 7— राज्य सरकार द्वारा रागय-रागय पर जो भी आदेश निर्णय किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
 8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 9— उच्च शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुग्रह के बिना चौर्झ परिवर्तन/संशोधन परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
 10— प्रवन्ध रागियों में एक ही परिवार के सदस्य न होने एवं निजी कीड़ा रथल न होने संबंधी कठियों का निराकरण एक चर्प के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।
- 2— उच्च प्रतिवधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यह किसी रागय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उभय प्रतिवधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता वर्ती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापरित प्रमाण-पत्र बैप्स ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एस०क० मादेश्वरी)
अपर सचिव

रोक्या: २७५ (१) XXIV-३/2006 तद्विनोक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रियतः—

- 1— निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरोचल, देहरादून।
 2— अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल—पौड़ी।
 3— जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
 4— ~~प्रधन्धक~~, स्कार्ड वर्ल पल्लक स्कूल लेन नं० 20, कृष्णानगर,
 रुद्रकी हरिद्वार
 5— गार्ड फाइल।

आशा
रो.

(राजेन्द्र रिह)
उप सचिव

२५